न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं. 35/2018

प्रार्थी–
आई0सी0आई0सी0आई होम फाईनेंस लिमिटेड, 2सी, मधुबनी, मुधबन, उदयपुर–313001
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. परिक्षितसिंह राठौड़, सरदारपुरा, आंटा हाउस, पांच बत्ती चौराहा, बाड़मेर
   राधेकृष्णा स्टोन क्रशिंग कम्पनी, आंटा हाउस, पांच बत्ती चौराहा, बाड़मेर
2. रितु चूण्डावत, सरदारपुरा, आंटा हाउस, पांच बत्ती चौराहा, बाड़मेर
3. वीरसिंह, सरदारपुरा, आंटा हाउस, पांच बत्ती चौराहा, बाड़मेर

आक्षेपकर्ता–
4. चन्द्रा कुमारी पुत्री पदमसिंह पत्नी उदयभानसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर हाल जोधपुर
5. सौभाग्य कंवर पुत्री पदमसिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर हाल जयपुर
6. पुष्पेन्द्रा कंवर पुत्री पदमसिंह पत्नी विरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर हाल जयपुर
7. जसवन्त कंवर पुत्री पदमसिंह पत्नी गिरीराजसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर हाल जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :–
1. श्री महेन्द्रसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4से7 की ओर से उपस्थित।

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आदेश

दिनांक : 08/01/2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण परिक्षितसिंह व अन्य के विरूद्ध पेश किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 परिक्षितसिंह व अन्य की प्रार्थना पर प्रतिभूतियों के एवज मे कुल 1,59,00,000/– रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण सुविधा की राशि एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना स्वीकार किया। अप्रार्थीगण सं. 1, 2 व 3 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के रूप मे अप्रार्थी सं. 1 व 3 के संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति यथा आवासीय अचल सम्पत्ति "आंटा हाउस" जो पांच बत्ती चौराहा के पास, सरदारपुरा बाड़मेर मे कुल माप 21174 वर्गफीट मय उस पर निर्मित भवन सहित को प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक 23.10.2012 को साम्यिक बन्धक रहन निष्पादित किया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 2 द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.02.2018 तक बकाया शेष रूपये 1,51,44,201/– भुगतान नही करने पर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किये गये एवं समाचार पत्रों मे प्रकाशित करवाया गया। प्रार्थी बैंक के पक्ष मे अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के कब्जे व स्वामित्व मे है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे मे लेना सम्भव नही है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, वाड़मेर

Scanned by CamScanner

3. अप्रार्थी सं. 4से7 द्वारा जरिये अधिवक्ता दौरान सुनवाई उपस्थित होकर इस आशय का आक्षेप प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी सं. 1 परिक्षितसिंह व अन्य द्वारा पैतृक भूमि का गलत रूप से नगर परिषद बाड़मेर से पट्टा बनवा दिया है, जिसका ज्ञान अप्रार्थीगण को होने पर उक्त पट्टे को रिव्यु करने हेतु नगर परिषद बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। नगर परिषद बाड़मेर द्वारा दोनो पक्षों की सुनवाई पश्चात अप्रार्थी सं. 1 व 3 के पक्ष मे जारी पट्टा दिनांक 10.04.2007 को आदेश दिनांक 06.09.2018 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा अप्रार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक भूमि को प्राप्त करने हेतु दिवानी वाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1 के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया हैं जिसमे स्थगन आदेश दिनांक 03.1.2019 के द्वारा अग्रिम आदेश तक विवादित सम्पति का बेचान किसी अन्य को नही करने एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखे जाने का जारी किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी बैंक को अप्रार्थीगण सं. 4से7 की पैतृक भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार नही है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1से3 को राशि रूपये 1,59,00,000/– ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण ने बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष मे रहन रखी है एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से से दिनांक 26.02.2018 तक कुल रूपये 1,51,44,201/– बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को पंजीबद्ध डाक से नोटिस जारी किये जाकर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है एवं नोटिस का प्रकाशन समाचार पत्रों मे भी कराया गया है। इस पर अप्रार्थीगण सं. 4से7 को जानकारी होने पर उनके द्वारा विवादित भूमि के पट्टा बाबत नगर परिषद बाड़मेर के समक्ष आक्षेप प्रस्तुत किया जो स्वीकार होकर पट्टा विलेख को निरस्त किया जा चुका है। इसके साथ ही अप्रार्थीगण सं. 4से7 ने विवादित भूमि को पैतृक सम्पति होना मानते हुए अपने अधिकारों की घोषणा हेतु सिविल वाद न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1 बाड़मेर के

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Scanned by CamScanner

समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमे अंतरिम आदेश दिनांक 03.1.2019 के द्वारा विवादित भूमि के बेचान पर स्थगन एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का पारित किया गया है। ऐसे मे प्रकरण की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी बैंक के पक्ष मे रहन रखी गई सम्पत्ति का मालिकाना हक दस्तावेज पुष्ट नही होने एवं सिविल न्यायालय मे स्थगन आदेश प्रभावी होने से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे मे दिलाया जाना न्यायालय आदेश के अध्यधीन न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष मे प्रतिभूति के रूप मे रखी गई उक्त **आवासीय अचल सम्पत्ति "आंटा हाउस" जो पांच बत्ती चौराहा के पास, सरदारपुरा बाड़मेर मे कुल माप 21174 वर्गफीट मय उस पर निर्मित भवन** का कब्जा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1 बाड़मेर के प्रभावी स्थगनादेश के अध्यधीन होने से अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु इस स्तर पर किसी प्रकार का आदेश दिया जाना उचित नही होने से यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6. आदेश आज दिनांक 08.01.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Scanned by CamScanner